

(1)

प्र०क० 14ए/17

न्यायालय प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग 2, भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष—: शरद जायसवाल)

व्य०प्रक०क०— 14ए/17
संस्थित दिनांक 09.01.17

- 1— श्रीमती पूजा पुत्री—रामनरेश यादव
उम्र 25 साल निवासी गोरम, तेह0मेहगांव
जिला भिण्ड म०प्र०

.....वादी / आवेदक

विरुद्ध

- 1— रामौतार पुत्र छोटेलाल सिंह उम्र—57 वर्ष.....आदि
निवासी—ग्राम सिटी तेह.उमरी
जिला भिण्ड म०प्र० आदि।

.....प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 16.02.2018 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आई.ए.एन.1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2. एवं धारा 151 सि.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि रामनरेश मृतक छोटे सिंह का पुत्र है।
- 3— वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम उमरी परगना व जिला भिण्ड में आराजी कं० 311, 342, 368, 372, 381, 382, 445, 307, 397, 403 वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है। प्रतिवादी कं० 2 एवं 3 ने

(2)

प्र0क0 14ए/17

प्रतिवादी क्रं0 1 से बिना प्रतिफल के प्रतिवादी क्रं0 4 एवं 5 के हक में बादोक्त भूमि के संबंध में बयनामा सम्पादित करवा लिया है। विक्रय पत्र कूट रचित है विवादित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई बटवारा नहीं हुआ है। जब वादी को प्रतिवादी क्रं0 1 के द्वारा किये गये विक्रय पत्र की जानकारी हुई तब प्रतिवादी क्रं0 1, 2 एवं 3 ने वादी को धमकी दी कि तुमको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वादी ने रिश्तेदारों एवं गांव के लोगों के माध्यम से प्रतिवादी क्रं0 1 को समझाने का प्रयास किया तब प्रतिवादी क्रं0 1 नहीं माना और बादोक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रति0 क्र0 2,3 को निषेधित किया जावे कि विवादित आराजी में उसके हिस्से तक प्रतिवादीगण न तो अन्य विक्रय करे न उसके कब्जे में हस्तक्षेप करें और न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादी के हित प्रभावित हो।

4— प्रतिवादीगण की ओर जवाब आवेदन इस प्रकार है कि मृतक रामनरेश एवं प्रतिवादी क्रं0 1, 2 एक ही मूल पुरुष की संतान है किंतु वादी मृतक छोटेलाल के वारिस नहीं है। वादी एवं मृतक छोटेलाल का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं है। बादोक्त भूमि में वादी का कोई हक नहीं है। वादी रामनरेश की पुत्री नहीं है। रामनरेश की मृत्यु दिनांक 01.06.1999 को होने के बाद उसकी पत्नी कृष्णादेवी प्रतिवादी क्रं0 6 घर से प्रहलाद सिंह नाम व्यक्ति के साथ भाग गई थी। उसी के संसर्ग से प्रतिवादी क्रं0 6 ने वादी को जन्म दिया है। इस प्रकार वादी रामनरेश की पुत्री नहीं है। वादी का विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अतः वादी का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जावे।

5— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है:—

(अ) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?

(ब) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी ?

(स) क्या सुविधा का संतुलन का वादी के पक्ष में है ?

// विचारणीय बिंदु क्रमांक 01 की विवेचना //

6— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है अर्थात् क्या वादी/आवेदक द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा दावा वाके ग्राम उमरी परगना व जिला भिण्ड के आराजी कं0 311, 342, 368, 372, 381, 382, 445, 307, 397, 403 की स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। आवेदक/वादी की ओर आवेदन के समर्थन में आवेदक ने अपना शपथ पेश किया है। प्रतिवादीगण की ओर से रामौतार ने अपना शपथ पत्र पेश किया है। वादी के अभिवचन के अनुसार वादोक्त भूमि संयुक्त परिवार की है जबकि प्रतिवादीगण का इसके विपरीत कथन है। ऐसे में संयुक्त परिवार के संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रतिवादी की आपत्ति है कि वादी मृतक रामनरेश की पुत्री नहीं है इसलिये उसका वादोक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। किंतु वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 2016-2017 की प्रमाणित प्रति के कॉलम नं.-3 में प्रतिवादी कं0 1 छोटे का नाम कब्जेदार के रूप में अंकित है। जिससे दर्शित है कि प्रतिवादी कं0 1 का वादोक्त भूमि पर कब्जा है एवं पक्षकारों के मध्य कोई वटवारा नहीं हुआ है। वादी स्वयं को प्रतिवादी कं0 1 छोटे सिंह के पुत्र रामनरेश मृत का वंशज होना बताती है जबकि प्रतिवादीगण वादी को मृतक रामनरेश की पुत्री नहीं मानते हैं। ऐसे में इस प्रश्न का निर्धारण कि वादी प्रतिवादी कं0 1 के पुत्र मृतक रामनरेश की पुत्री है या नहीं, तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण साक्ष्य लेकर किया जायेगा। उभयपक्ष के कथन उक्त तथ्य के प्रश्न पर विरोधाभासी होने के कारण इस स्तर पर इस प्रश्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

// विचारणीय बिंदु कमांक 02 व 03 की विवेचना //

7— जहां तक प्रश्न सुविधा के संतुलन का है कि यदि वाद लम्बन के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गयी तो किस पक्ष को सबसे ज्यादा असुविधा होगी। तो वादी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल रहा है। यदि वादलम्बन के दौरान वादोक्त सम्पत्ति का अन्यसंक्रमण किया जाता है तो निश्चित ही वाद बहुल्यता बढ़ेगी तथा अनावश्यक ही अन्य व्यक्तियों को पक्षकार बनाना पड़ेगा जिससे निश्चित ही वादी को असुविधा होगी। ऐसे में अस्थायी निषेधाज्ञा देने से प्रतिवादीगण को कोई असुविधा एवं अपूर्णनीय क्षति होना भी दर्शित नहीं है। अतः अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धांत भी वादी/आवेदक के पक्ष में पाया जाता है।

8— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के सिद्धांत वादी के पक्ष में पाया जाता है। अतः

(4)

प्र०क० 14ए/17

वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सि०प्र०सं० आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आदेशित किया जाता है —

“प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उमरी परगना व जिला भिण्ड के आराजी क्र० 311, रकवा 0.910 342 रकवा 0.400, 368 रकवा 0.130, 372 रकवा 0.430, 381 रकवा 0.290, 382 रकवा 0.250, 445 रकवा 0.100, 307 रकवा 0.640, 397 रकवा 0.460, 403 रकवा 0.400 को स्वयं या अपने एजेंट द्वारा विक्रय न करे न करावे।”

09— यह आदेश वाद के अंतिम निराकरण तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

10— इस आदेश का वाद के अन्तिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

11— उभय पक्ष स्वयं आवेदन का व्यय वहन करेंगे।

मेरे बोलने पर लिखा गया।

स्थान— भिण्ड

दिनांक—.....

शरद जायसवाल
प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग 2
भिण्ड म०प्र०